

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,  
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक : 1235/XV, फर्रुखाबाद : दिनांक : जुलाई 14, 2020

विषय : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 03.06.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 03.06.2020 में क्रम संख्या 26 पर दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा प्रेषित सूचना दिनांकित 21.05.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद एवं लोको स्थित न्यायालय ए0सी0जे0एम0, रेलवे परिसर कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं।

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के पत्रांक 1881/सी0आर0ए0/कोविड-19/2020-21, दिनांकित 29.06.2020, जो इस कार्यालय को दिनांक 29.06.2020 को सांय 04:30 बजे उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज परिसर दिनांक 25.06.2020 से कन्टेनमेंट जोन के अन्तर्गत आ गया है। जिसके आधार पर जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा आदेश संख्या 150/2020, दिनांकित 30.05.2020 से वाह्य स्थित न्यायालय तत्काल प्रभाव से कन्टेनमेंट जोन रहने की अवधि तक के लिए बन्द कर दिया गया है। जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1112/XV, दिनांकित 30.06.2020 से प्रेषित की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कायमगंज को छोड़कर शेष न्यायालयों में ओपन कोर्ट व वर्चुअल कोर्ट रूम की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत सुनवाई की गयी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, फर्रुखाबाद की आख्या दिनांकित 14.07.2020 के अनुसार इस अधिष्ठान में समस्त न्यायालय व कार्यालय संचालित किये गये, जिनमें शत प्रतिशत तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया गया।

केन्द्रीय नाजिर की आख्या दिनांकित 14.07.2020 के अनुसार न्यायालय खुलने से पूर्व न्यायालय परिसर की साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन का कार्य किया गया। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का मुख्य द्वार पर थर्मल स्केनर से चेक-अप किया गया तथा उपस्थित सभी लोगों द्वारा सामाजिक दूरी रखकर

व मास्क लगाकर कार्य किया गया। आज दिनांक 14.07.2020 को शत प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त कोरोना वायरस (कोविड-19) सैम्पल दैनिक रिपोर्ट दिनांकित 14.07.2020 के अनुसार जनपद में दैनिक कोरोना टेस्ट की संख्या 393, कोरोना टेस्ट की कुल संख्या 8476, टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट की कुल संख्या 6980, अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या 1496, पाजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या 264, निगेटिव पाये गये मरीजों की संख्या 6716 तथा आज प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 211 है। आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस अधिष्ठाण में दिनांक 14.07.2020 को कुल 16 नवीन वाद/प्रार्थना पत्र दाखिल किये गये तथा कुल 25 प्रार्थना पत्र/वाद निस्तारित हुए, जिनमें से 04 प्रार्थना पत्रों/वादों का निस्तारण जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा तथा 02 प्रार्थना पत्रों/वादों का निस्तारण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया गया। वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज कन्टेनमेंट जोन में होने के कारण बन्द रहा। सम्बन्धित विवरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये वेबलिंग पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि वांछित आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सादर।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

जनपद न्यायाधीश,

फर्रुखाबाद।

14.07.2020

, 2020

पत्रांक : / , फर्रुखाबाद : दिनांक : जुलाई

प्रतिलिपि :- निजी सचिव/उपनिबन्धक (माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, फर्रुखाबाद परिक्षेत्र), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

संलग्नक : यथोपरि।

जनपद न्यायाधीश,

फर्रुखाबाद।

सेवा में

MAO जनपद असाध्वीस  
फर्रुखाबाद ।

कोरोना वायरस(कोविड-19) रीगल दैनिक रिपोर्ट, जनपद-फर्रुखाबाद

दिनांक- 14.07.2020

जनपद का नाम	दैनिक कोरोनाटेस्ट की संख्या	कोरोना टेस्ट की कुल संख्या	टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जॉच रिपोर्ट की कुल संख्या	अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या	पॉजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या	निगेटिव पाये गये मरीजों की संख्या	आज की प्राप्त रिपोर्ट की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
फर्रुखाबाद	393	8476	6980	1496	264	6716	211

8  
96/10/1

2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
फर्रुखाबाद